सेवा में ,

थाना अध्यक्ष राजपुर
देहरादून- २४८००९

विषय – भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदरदास मोदी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा १५३(ए) और धारा ५०४ के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की शिकायत और माँग ।

महोदय,

मैं आपका ध्यान श्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी के दिनांक २१ अप्रैल २०२४ के चुनावी भाषण की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ , जो उन्होने राजस्थान के बांसवाडा में दिया था । इसमें, उन्होने कुछ

ऐसा कहा था की " कांग्रेस पार्टी , मुसलमानों को जो घुसपैठिया हैं , और ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं आपका समस्त धन देने को प्रतिबद्ध हैं और यहाँ तक की आपका मंगलसूत्र भी बेच देंगे " । यह, आई पी सी की धारा १५३(ए) और ५०४ को आकर्षित करता है और इस कारण उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाये ।

धारा १५३(ए)

भाषा या क्षेत्रीय समूह या जाति या समुदाय और ऐसी गतिविधि किसी भी कारण से ऐसे धार्मिक, नस्लीय, भाषाई या क्षेत्रीय समूह या जाति या समुदाय के सदस्यों के बीच भय या चिंता या असुरक्षा की भावना पैदा करती है या पैदा होने की संभावना है, तो उसे दंडित किया जाएगा।

The 4 big distortions in the PM’s ‘infiltrator’ speech | Mandate ...

As a controversy over his dangerous diatribe rages on, Prime Minister Narendra Modi...

youtu.be

धारा ५०४ आईपीसी- शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना ।

बतौर साक्ष्य संलग्न यूट्यूब आपके प्रथम दृष्टा संज्ञान के लिए प्रेषित है । इसको ३ .२० सेकेंड से देखें और सुनें ।

जय हिन्द।
ब्रिगेडियर सर्वेश दत्त डंगवाल
दिनांक – २७/०४/२०२४
दूरभाष – ९४१०९०००५१

प्रतिलिपि – वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
देहरादून ।
ब्रिगेडियर सर्वेश दत्त डंगवाल
२७/०४/२०२४